9.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट हल्द्वानी में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड पत्रावली ग्राम हल्द्वानी के भूमि ख०नं० 1893, 1906, 1907, 2212, 2222 2223 किता 6 कुल रकबा 2.288 हे० के वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि में दखलन्दाजी व जबरन कब्जा करने को आमदा है। प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित भूमि पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं रखता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करें। इस प्रकार वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि उक्त वर्णित में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करें इस बावत प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली के सल्म शुमार हो कर नम्बर के कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.5.18 को कैम्प कोर्ट हल्द्वानी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner